# कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 50 दिनांक : 03 / 01 / 2026

## –::आदेश::–

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक से 9 / 18 / 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इस कार्यालय द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति सह–प्रशासनिक समिति (चयनित वेतनमान / एसीपी / एमएसीपी) की प्राप्त अनुशंषा रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं. 04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से वांछित एसीपी / एम.ए.सी.पी. का लाभ एतद्द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित / स्वीकृत किया जाता है :–

| क. सं. | कर्मचारी का नाम, पद व पदस्थापन न्यायालय का नाम सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री | कर्मचारीगण की प्रथम नियुक्ति दिनांक, पद विवरण | कर्मचारीगण की वांछित 9 / 18 / 27 की सेवा पूर्ण किये जाने की दिनांक | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. | रघुवीर सिंह,<br>**शहरिस्तेदार / रीडर ग्रेड–II**<br>न्यायालयः– अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सा.द.प्र.) ,जयपुर महानगर–II | 05.03.1990<br>च.श्रे.क. | 27 वर्ष<br>05.03.2017 | *राज्य सरकार की अधिसूचना नंबर–एफ14(88) एफडी(रुल्स) / 2008–1 जयपुर दिनांक 31.12.2009 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत होने की स्थिति में* कर्मचारी को वांछित 27 वर्षीय तृतीय एसीपी / एमएसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 05.03.1990 के आधार पर दिनांक 05.03.2017 से स्वीकृत किया जाता हैं। |
| 2. | राहुल नैनवाल,<br>**लिपिक ग्रेड–I**<br>न्यायालयः– अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम– 21, जयपुर महानगर–II | 25.06.2016<br>लिपिक ग्रेड–II | –– | कर्मचारी को रीडर / शहरिस्तेदार ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड – प्रथम के पद पर प्रथम पदोन्नति दिनांक 30.06.2022 को वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने से वांछित 09 वर्षीय एसीपी / एमएसीपी दि. 25.06.2025 को देय नहीं हैं। |
| 3. | हंसराज गुर्जर,<br>**लिपिक ग्रेड–II**<br>न्यायालयः– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे), जयपुर महानगर–II | 11.04.2007<br>च.श्रे.क. | 18 वर्ष<br>11.04.2025 | *राज्य सरकार की अधिसूचना नंबर–एफ14(88) एफडी(रुल्स) / 2008–1 जयपुर दिनांक 31.12.2009 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत होने की स्थिति में* कर्मचारी को वांछित 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी / एमएसीपी का लाभ प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक 11.04.2007 के आधार पर दिनांक 11.04.2025 से स्वीकृत किया जाता हैं। |
| 4. | छोटी देवी,<br>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी<br>न्यायालयः– अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम सं0–08, जयपुर महानगर–II | 17.10.2007<br>च.श्रे.क | 18 वर्ष<br>17.10.2025 | –– |
| 5. | श्री देवरतन हर्ष<br>रीडर ग्रेड–I<br>न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम सं0 5, जयपुर महानगर–II | 21.12.1991<br>च.श्रे.क | 18 वर्ष<br>21.12.2009 | *एसीपी स्कीम 2008 के प्रावधान एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.2009 के अनुसार श्री हर्ष को उनके सेवाकाल में वांछित एसीपी निम्न बिन्दुवार स्वीकृत की जाती हैं:–*<br>*1. एसीपी स्कीम 2008 के प्रावधान के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्होने एक चयनित वेतन / एक पदोन्नति का फायदा ले लिया हैं, क्रमशः 18 व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर दूसरी और तीसरी एसीपी के लिए ही पात्र होते हैं अतः प्रथम पदोन्नति लिपिक ग्रेड–II पर प्रथम वित्तीय लाभ दिनांक 04.03.1998 को देय होने के कारण दिनांक 04.03.2007 को पूर्व में स्वीकृत 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान / एसीपी गलत स्वीकृत होना पाये जाने से निरस्त की जाकर उक्त दिनांक को वेतनस्थिरीकरण संशोधित किये जाने के लिये निर्देशित किया जाता हैं।*<br>*2. एसीपी स्कीम 2008 के प्रावधान के अनुसार कर्मचारी को द्वितीय पदोन्नति रीडर ग्रेड–III / लिपिक ग्रेड–I के पद पर दिनांक 01.09.2010 को होने से पूर्व **प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.12.1991 के आधार पर 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने की दिनांक 21.12.2009 को 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान / एसीपी स्वीकृत** की जाकर पूर्व मे दिनांक 01.09.2010 को द्वितीय पदोन्नति पर दिया गया वित्तीय लाभ को निरस्त कर उक्त दिनांक को वेतनस्थिरीकरण संशोधित किये जाने के लिये निर्देशित किया जाता हैं।*<br>*3. उपरोक्त एसीपी स्कीम एवं अधिसूचना के अनुसार* प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.12.1991 के आधार पर तृतीय चयनित वेतनमान / एसीपी की दिनांक 21.12.2018 से पूर्व कर्मचारी को दिनांक 01.10.2017 को रीडर ग्रेड–II / कार्यालय सहायक के पद तृतीय पदोन्नति होने के कारण तृतीय चयनित वेतनमान / एसीपी नियमानुसार देय नहीं हैं।<br>***नोटः– उपरोक्तानुसार श्री हर्ष के एसीपी / पदोन्नति पर संशोधित वेतनस्थिरीकरण किये जाने से यदि कोई वसूली / एरीयर हो तो नियमानुसार की / किया जावें।*** |

नोटः–

01. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका / सेवारोल में किया जावें।
02. उपरोक्त आदेश के तहत जिन कर्मचारीगण को वांछित चयनित वेतनमान / ए.सी.पी. / एमएसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया हैं, उनके वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश इस कार्यालय द्वारा पृथक से जारी किए जावेगें।

–Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / ....51.... दिनांक : 03 / 01 / 2026

**<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–**

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय ..... जयपुर महानगर–द्वितीय।
04. संबंधित कर्मचारी .....
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर–द्वितीय